प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
सहारनपुर।

सेवा में,

प्रबन्धक/प्रधानाचार्य
आर्यवृत्त एकेडमी बिलासपुर,
नागल, सहारनपुर।

पत्रांकः मान्यता/2874-76 /2014-15 दिनांक 25 जून 2014

विषयः– निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिये निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 के नियम 15 के उपनियम(4)के अधीन विद्यालय के लिये मान्यता प्रमाण पत्र।

महोदय/महोदया,

आपके तारिख –**30.08.2013** के आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चातवर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रति निर्देश से, मै **आर्यवृत्त एकेडमी बिलासपुर, नागल, सहारनपुर** (विद्यालय का नाम, पतें सहित) को **तारीख– 24.06.2014 से तारीख– 23.06.2017** तक तीन वर्ष की अवधि के लिये **कक्षा नर्सरी से कक्षा आठ** तक **अंग्रेजी माध्यम** के लिये अनंतिम मान्यता प्रदान करनें की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तो के पूरा किये जाने के अध्यधीन हैः–

01–मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नही है–और उसमे किसी भी रुप में कक्षा 8 के पश्चात मान्यता/संबंधन करने के लिये कोई बाध्यता विवक्षित नही है।

02–विद्यालय निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 (उपबंध 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010(उपाबंध 2) के उपबंधो का पालन करेगा।

03–विद्यालय कक्षा 1 में (या यथास्थिति,नर्सरी कक्षा में)उस कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस पडौस के कमजोर वर्गो और सुविधा विहीन समूह के बालको को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।

04–पैरा–3 में निर्दिष्ट बालकों के लिये विद्यालय को अधिनियम की धाारा 12 की उप धारा(2)के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लियें विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।

05–सोसाइटी/विद्यालय किसी केपीटेंशन शुल्क का संग्रहण नही करेगा और किसी बालक या उसके माता पिता या संरक्षक कों किसी स्क्रीनिग प्रक्रियां के अध्यधीन नहीं करेगा।

06–विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होंने के कारण प्रवेश देने से इंकार नही करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबन्धों का पालन करेगा।विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा।

(i)प्रवेश दियें गये किसी भी बालक को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी दशाा में फेल नही किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।

(ii)किसी भी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीडन के अध्यधीन नही किया जाएगा।

(iii)प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उतीर्ण करने की अपेक्षा नही की जायेगी।

(iv)प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथिक किये गये अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा।

(v)अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।

(vi)अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1)के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है। परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक, जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताएं नही है, पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेंगे।

(vii)अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्त्तव्यों का पालन करता है, और

(viii)अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नही करेंगे।

07– विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेंगा।

Ug

08– विद्यालय अधिनियमों की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और सनियमों को बनायें रखेगा।अन्तिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधाएं निम्नानुसार है:–

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल– 10497.31 वर्ग मी0
कुल निर्मित क्षेत्र:– 1599 वर्ग मी0
क्रीडा–स्थल का क्षेत्रफल:– 4000 वर्ग मी0
कक्षाओं की संख्या:– 11
प्राध्यापक–सह–कार्यालय–सह–भाडागार के लिये कक्ष:–03
बालक और बालिकाओं के लिये पृथक शौचालय:–उपलब्ध है।
पेयजल की सुविधा:– उपलब्ध है।
मिड–डे–मिल पकाने के लिये रसोई:– 01
बाधारहित पहुँच:–हाँ
अध्यापन पठन सामग्री/क्रीडा खेलकूद उपस्करो/पुस्तकालय की उपलब्धता:– उपलब्ध है।

09– विद्यालय के परिसरी के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएं नही चलाई जायेगी।

10– विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीडा स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिये किया जाता है।

11– विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860(1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सौसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।

12– स्कूल को किसी व्यष्टि व्याष्टियो के समुह सगम या किन्ही व्क्तियो के लाभ लिए नही चलाया जा रहा है।

13– विद्यालय के लेखाओ की किसी चार्टड अकाउंटेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमो के अनुसार तैयार किये जाना चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।

14– आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्यॉंक–E-16 है। कृपया इसे नोट कर ले और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस सख्यांक का उलेख करे।

15– विद्यालय ऐसी रिपोर्ट ओर सूचना प्रस्तुत करता है जो समय समय पर शिक्षा निदेशक/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो ओर समुचित संस्कार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशो का पालन करता है जो मान्यता सम्बन्धी शर्तो के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियो को दूर करने के लिए जारी किये जाएं।

16– सोसाईटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण यदि कोई हो को सुनिश्चित किया जाए।

17– सलग्न उपाबघ के अनुसार अन्य कोई शर्ते।
क–विद्यालय को प्रति छात्र के बैठने हेतु 09 वर्गफीट जगह रखना अनिवार्य होगा।

भवदीय

Vkumar
(विनय कुमार)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
सहारनपुर

पृ0सं0/ मान्यता/ /2014–15 तद्दिनांक।
प्रतिलिपि:– निम्नाकिंत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित:–
01–मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक(बेसिक)सहारनपुर मण्डल सहारनपुर।
02–सम्बन्धित खण्ड/नगर शिक्षा अधिकारी।
03–कार्यालय अभिलेख।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
सहारनपुर